// कार्यालय सेनानी, 16वीं वाहिनी (भा0/र0) छ0स0बल, नारायणपुर //

दूरभाष :- कार्यालय 07781-252931, फैक्स 07781-252931, e-mail : co16thbn-npr.cg@gov.in

क्रमांकः-16वीं बटा0/छ0स0बल/नारायणपुर/क्वा0मा0/ M/741 /2018, दिनांक 6/06/2018

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध/व0स0अ0)
छत्तीसगढ़, नया रायपुर

विषय :- जिला नारायणपुर में 16वीं वाहिनी (भा0/र0) छ0स0बल, मुख्यालय हेतु 'आऊट पोस्ट, ट्रेनिंग सेन्ट्रर, स्कूल, अस्पताल, प्रशासकीय एवं आवासीय भवन' स्थापित करने के लिए चयनित 12.899 हे0 राजस्व वनभूमि के हस्तांतरण के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव हेतु पंजीयन क्रमांक आवंटन बाबत्।

---000---

कृपया विषयांतर्गत लेख है कि वनमण्डल नारायणपुर में सेनानी, 16वीं वाहिनी (भा0/र0) छ0स0बल, नारायणपुर को 'आऊट पोस्ट, ट्रेनिंग सेन्ट्रर, स्कूल, अस्पताल, प्रशासकीय एवं आवासीय भवन' के स्थापना हेतु ग्राम गढ़बेंगाल प0ह0न0 11 खसरा नं0 33 रकबा 3.580 हे0 एवं ग्राम गरांजी के प0ह0नं0 4 खसरा नं0 362 रकबा 5.00 हे0 एवं खसरा नं0 363 रकबा 4.369 हे0 **कुल रकबा 12.899 हे0** राजस्व वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अतंर्गत प्रकरण पंजीयन के लिए परियोजना का संक्षिप्त टिप, ग्राम पंचायत ग्राम गढ़बेंगाल एवं गरांजी का अनापत्ति प्रमाण पत्र, कलेक्टर नारायणपुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र, वन विभाग का 1:15000 स्केल का तथा वनस्पती मानचित्र 1:50000 पर आवेदित क्षेत्र दर्शाते हुए निर्धारित आवेदन भाग-। में आवश्यक वचन पत्रों एवं उपरोक्त अभिलेखो के साथ प्रस्तुत है।

उपरोक्त भूमि को पूर्व में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-16वीं बटा/छसबल/नारायणपुर/क्वा0मा0/एम /651-सी/14, दिनांक 20.09.2014 के अनुसार पंजीयन शुल्क राशि 6,000/- एवं प्रोसेसिंग शुल्क राशि 18,000/- कुल राशि 24,000/- (चौबीस हजार रूपये मात्र) का बैंकर्स चैक क्रमांक-727075 दिनांक 20/09/2014 वनमण्डलाधिकारी नारायणपुर, वनमण्डल नारायणपुर की ओर प्रस्तुत कर पंजीयन क्रमांक/2014/46 आवंटित कराया गया था। जिसे आपके द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के अनुसार निरस्त कर दिया गया है।

वाहिनी गठन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में नक्सल विरोधी ऑपरेशन को तेज कर समस्या का उन्मूलन करना है। इसकी पूर्ति हेतु इकाई द्वारा आऊट पोस्ट, ट्रेनिंग सेन्ट्रर, स्कूल, अस्पताल, प्रशासकीय एवं आवासीय भवनों के निर्माण कार्य चालु वित्तीय वर्ष में कराया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त कार्य हेतु ग्राम गढ़बेंगाल प0ह0न0 11 खसरा नं0 33 रकबा 3.580 हे0 एवं ग्राम गरांजी के प0ह0नं0 4 खसरा नं0 362 रकबा 5.00 हे0 एवं खसरा नं0 363 रकबा 4.369 हे0 **कुल रकबा 12.899 हे0** राजस्व वन भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीयन पुनर्जीवित कर भूमि आवंटन कराया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण पंजीकृत होने के उपरांत वनमण्डलाधिकारी नारायणपुर के सहयोग से चेक लिस्ट के अनुसार प्रकरण पूर्ण कर स्वीकृति की कार्यवाही के लिए वनमण्डलाधिकारी नारायणपुर को पृथक से 6 प्रतियों में प्रस्तुत किया जावेगा।

अतः कृपया पंजीयन कोड आबंटित करने हेतु सादर अनुरोध है।

(टी0 एक्का) 6/6
सेनानी
16वीं वाहिनी(भा0/र0)छ0स0बल,
नारायणपुर